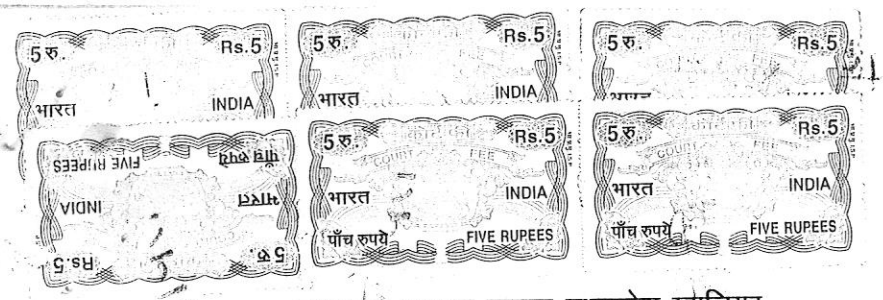

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक —तीन/2016 पुनरावलोकन

बादलसिंह पुत्र इमरतलाल

निवासी ग्राम— मझारी, तहसील—टप्पा, बदरवास

तहसील— कोलारस जिला— शिवपुरी मध्यप्रदेश —— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन —— अनावेदक

डॉ मधु खरे सदस्य राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 2620—तीन/2015 में पारित आदेश दिनांक 7—11—2015 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा—51 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय,

आवेदक की और से पुनरावलोकन आवेदन पत्र निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निम्नानुसार प्रस्तुत है:

1. यह कि माननीय न्यायलय के आदेश में ऐसी गंभीर विधिक त्रुटि हुई है जो कि प्रकरण आदेश को पडने मात्र से स्पष्ट होकर आदेश के पुनरावलोकन का आधार निर्मित करती है.

2. यह कि, इस प्रकरण से संबंधित भूमि का भूमि स्वामी श्यामलाल पुत्र कालूराम था श्यामलाल ने अपनी भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु कलेक्टर जिला—शिवपुरी के समक्ष संहिता की धारा—165 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था कलेक्टर जिला—शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक—73/2005—06/अ—21 (1) में पारित आदेश दिनांक 26—09—2008 द्वारा श्यामलाल को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की थी उक्त अनुमति के पश्चात श्यामलाल ने आवेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31—03—2009 निष्पादित करते हुये भूमि विक्रय की थी अपर कलेक्टर ने श्यामलाल द्वारा बिना अनुमति के भूमि विक्रय किया जाना मानते हुये स्वयंमेव पुनरीक्षण की अधिकारिता के अंतर्गत आदेश पारित किया था जिसके विरूद्व आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया जिसे इस न्यायालय ने अग्रहाय होना मानकर निरस्त किया है.

3. यह कि, अपर कलेक्टर शिवपुरी ने संहिता की धारा —50 के अन्तर्गत स्वयमेव पुनरीक्षण के विचाराधिकार का प्रयोग करते हूए आदेश पारित किया था. जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा संहिता की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश मूल आदेश होने से धारा 44 के अन्तर्गत अपील योग्य आदेश है.

4. यह कि, संहिता की धारा—44 के अन्तर्गत मूल आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है यह विवादित नही है परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी ने पुनरीक्षण/स्वयमेवव पुनरीक्षण के

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक.....36–तीन/2016 पुनरावलोकन ....जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/2/16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालय के प्रकरण कमांक 2620–तीन/2015 में पारित आदेश दिनांक 7–11–15 पर से प्रस्तुत हुआ है। 2/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। आदेश दि0 7–11–17 से आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि अपर कलेक्टर शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 134/2013–14 स्व.निगरानी में संहिता की धारा 165 के अंतर्गत आदेश दिनांक 18–5–14 पारित किया है जिसके विरूद्ध धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत होगी। अपर कलेक्टर शिवपुरी व्दारा आदेश दिनांक 18–5–14 स्व.निगरानी में पारित किया गया है। निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध संहिता में दी गई व्यवस्था अनुसार निगरानी प्रस्तुत होगी और प्रकरण कमांक 2620–तीन/2015 में आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2015 पारित करते यह प्रत्यक्षदर्शी भूल हुई है। पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति प्रकरण कमांक 2620– तीन/ 2015 में रखी जाकर प्रकरण पुर्नजीवित किया जाता है। सदस्य	